

मैनुअल-4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

राजभवन द्वारा अपने क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का विवरण :-

1. कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध सभी विद्यालयों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण तथा शासन द्वारा अनुमोदित विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना।
2. शासन से अनुमोदित अधिनियम एवं प्रशासनिक क्रियाकलापों का अनुमोदन प्रदान करना।
3. वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित किया जाना।
4. वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निष्प्रोज्य सामग्री को निष्प्रोज्य घोषित करने एवं उसकी नीलामी किया जाना।